# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म | 422/2021 रोडीदेवी / प्रेमदेवी | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

24/2/22

अधि. ... / ... उपस्थित ...
... फैसल
... 29/3/22 ... पेश हो

(हस्ताक्षर)

29/3/22

पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित | अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस सुनी गयी | अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया | पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04/08/2021 को पारित अन्तरिम आदेश के विरुद्द प्रस्तुत की गयी है | जिसके सन्दर्भ में अपीलार्थी की मुख्य आपत्ति यही है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 3(क) की अनुपालना करते हुये प्रकरण का निस्तारण विधिसम्मत नही किया जा रहा है | अत: ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 3(क) की पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेश दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है | अत: प्रकरण इसी स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 3(क) की पालना सुनिश्चित करते हुये पक्षकारान की समुचित सुनवाई कर 30 दिवस की अवधि में विधिसम्मत आदेश पारित करे | इस हद तक अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो |

आदेश आज दिनांक 29/03/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

(हस्ताक्षर)

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी (राजस्थान)